रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2014/कार्तिक 7, 1936
No. 558] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2014/KARTIKA 7, 1936

IndiaCode

शहरी विकास मंत्रालय

(एम आर टी एस – 3)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 758(**अ**).— केंद्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, **2002 (2002** का **60)** की धारा **32** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चेन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत" से मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उनका है।

3. मालों या सामान का वहन-- कोई भी व्यक्ति, मेट्रो रेल प्रशासन की पूर्व मंजूरी के बिना मेट्रो रेल में यात्रा करते समय, अपनी निजी माल-असबाब को अन्तर्विष्ट करने वाले ऐसे बैगेज से भिन्न किसी अन्य माल का वहन नहीं करेगा, जो आकार में 60 सेन्टी मीटर X 40 सेंटी मीटर X 25 सेन्टी मीटर और भार में 15 किलोग्राम से अधिक होगा।

4. खतरनाक और घृणोत्पादक सामग्री ले जाने का प्रतिषेध--(1) कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेल पर निम्नलिखित खतरनाक सामग्रियों को नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा, अर्थात् : --

(क) विस्फोटक पदार्थ, जिनमें विस्फोट या आग लगने या दोनों का जोखिम है ;

(ख) संपीड़ित, द्रविकृत या दबाव के अधिन घुली हुई गैसें ;

(ग) पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव ;

(घ) ज्वलनशील ठोस ;

(ङ) ऑक्सीकरणीय पदार्थ ;

(च) जहरीले (विषैले) पदार्थ ;

(छ) अम्ल और अन्य संक्षारक ;

(ज) रेडियोधर्मी पदार्थ ;

(झ) हथियार, आयुध और गोला-बारुद ; और

(ञ) कोई अन्य वस्तु जिसे मैट्रो रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर खतरनाक घोषित किया गया है ।

(2) कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेल पर निम्नलिखित घृणोत्पादक सामग्री नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा, अर्थात् :--

(क) चिकित्सिय अत्यावश्यकता के लिए पैक किए हुए या ढके हुए ताजा मानव रक्त को छोड़कर शुष्कित या स्कंदित या सड़ा हुआ रक्त ;

(ख) रक्त से अभिरंजित कपड़ों के साथ दुर्घटना से पीड़ित को छोड़कर रक्त से रंजित पदार्थ या वस्तु ;

(ग) शव ;

(घ) मृत पशुओं के कंकाल ;

(ङ) हड्डियां, विरंजित और साफ की गई हड्डियों को छोड़कर ;

(च) खाद या उर्वरक ;

(छ) चीथड़े, तेल से सने चीथड़ों सहित ;

(ज) कोई क्षयशील पशु या वनस्पति सामग्री ;

(झ) मानवीय अस्थि-कलश ;

(ञ) मानवीय कंकाल ;

(ट) मानव शरीर के भाग ; और

(ठ) कोई अन्य वस्तु जिसे मैट्रो रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर खतरनाक घोषित किया गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेल पर किसी जीवित पशु और पक्षी को नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा, तथापि, कर्त्वयारुढ सुरक्षाकर्मी सुरक्षा प्रयोजन के लिए अपने साथ सूंघने वाले कुत्ते ले जा सकेगा ।

(4) यदि मेट्रो रेल के किसी पदधारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के किसी आधान में या अन्यथा कोई खतरनाक या कोई घृणोत्पादक सामग्री का वहन कर रहा है तो वह ऐसे किसी आधान को, उसकी अन्तर्वस्तु को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए उसके वाहक द्वारा खुलवा सकेगा ।

(5) मेट्रो रेल का कोई पदधारी, किसी खतरनाक या कोई घृणोत्पादक सामग्री का वहन करने वाले किसी व्यक्ति को मेट्रो रेल से हटा सकेगा ।

5. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार के सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस, परा-सैन्य बलों, राष्ट्रीय केडेट कार्पस और केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र वर्दीधारी बलों के सदस्य, अपने कर्तव्य के अनुक्रम में मेट्रो रेल में प्राधिकृत हथियार, आयुध और गोला-बारूद का वहन कर सकेंगे ।

IndiaCode

6. **अन्य अधिनियमों और नियमों का लागू होना**--(1) इन नियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वे निम्नलिखित के लागू होने का निवारण करती है,--

(क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का अधिनियम 4) ;

(ख) विस्फोटक नियम, 1983;

(ग) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम 54) ;

(घ) आयुध नियम, 1962 ;

(2) इन नियमों की कोई बात मेट्रो रेल यात्री को माचिस की एक डिब्बी या कोई पाकेट सिगरेट गैस लाइटर पास रखने से निवारित नहीं करेगी ।

7. **संक्रामक और सांसर्गिक के रूप में घोषित रोग**--किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित रोग भी हैं, से पीड़ित कोई व्यक्ति मेट्रो रेल में यात्रा नहीं करेगा, अर्थात् : --

(क) सेरिबरा-स्पाइनल मेनिंनजाइटिस ;

(ख) चिकन-पॉक्स ;

(ग) हैजा ;

(घ) काली खांसी ;

(ङ) खसरा ;

(च) कनपेडा ;

(छ) लोहित ज्वर ;

(ज) तंद्रिक ज्वर ;

(झ) टाइफाइड ज्वर ;

(ञ) कुकुट खांसी, और ;

(ट) कोई अन्य रोग जो केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा सांसर्गिक और अत्यंत संक्रामक घोषित किया गया है

परन्तु क्लोज्ड (अप्रभावी) कुष्ठ रोगी किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा रोग की अप्रभाविकता प्रमाणित करते हुए दिए गए प्रमाणपत्र को धारित करने वाला ऐसा रोगी मेट्रो रेल द्वारा यात्रा कर सकेगा ।

8. **टिकट की विशिष्टियां**--(1) मेट्रो रेल में यात्रा करने का इच्छुक किसी व्यक्ति को, किराए का संदाय करने पर मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा या इस निमित प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा टिकट जारी किया जाएगा । ऐसी यात्रा के लिए वह, मेट्रो रेल कारबार प्रशासन नियमों से शासित होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी टिकट निम्नलिखित किस्मों का होगा, अर्थात् : --

(क) एकल यात्रा टिकट, जो संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट टोकन या पत्र संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड भी हो सकता है;

(ख) भंडारित मूल्य कार्ड, यथा प्राधिकृत अवधि के लिए मान्य;

(ग) समूह यात्रा के लिए यथा प्राधिकृत समूह टिकट

(घ) मैट्रो रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रकाशित कारबार अनुदेशों में यथा प्राधिकृत कोई अन्य टिकट ।

[फा.सं. के-14011/34/2013-एम.आर.टी.एस–3]

मुकुन्द कुमार सिन्हा, ओएसडी (शहरी परिवहन) और
पदेन संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(MRTS-III)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2014

G.S.R. 758(E).— In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (Act 60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Chennai Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Metro Railways (Operations and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "Authorized" means authorized by metro railway administration.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings & assigned to them in the Act.

3. Carriage of goods or luggage.- No person shall, while travelling in Metro Railway, carry with him any goods other than baggage containing personal belongings not exceeding 60 centimetre x 40 centimetre x 25 centimetre in size and 15 kilogram in weight, except with the prior approval of the metro railway administration.

4. Prohibition against carriage of dangerous and offensive goods.- (1) No person shall take or cause to be taken on the Metro Railway the following dangerous materials, namely:-

(a) Explosive substances which possess risk of explosion or fire or both;

(b) gases compressed, liquefied or dissolved under pressure;

(c) petroleum and other inflammable liquids;

(d) inflammable solids;

(e) oxidizing substances;

(f) poisonous (toxic) substances;

(g) acids and other corrosives;

(h) radio active substances;

(i) weapons, arms and ammunitions; and

(j) any other article declared as dangerous material by the metro railway administration from time to time.

(2) No person shall take or cause to be taken on the metro railway the following offensive materials, namely:-

IndiaCode

(a) Blood dried or coagulated or decomposed, whether human or animal, except packed and covered fresh human blood for medical exigency;

(b) any blood stained material or object except an accident victims with blood stained clothes;

(c) corpses;

(d) carcasses of dead animals;

(e) bones, excluding bleached and cleaned bones;

(f) fertilizer or Manure;

(g) rags, including oily rags;

(h) any decayed animal or vegetable matter;

(i) human ashes;

(j) human skeleton;

(k) parts of human body; and

(l) any other article declared as offensive material by the metro railway administration from time to time.

IndiaCode

(3) No person shall take or cause to be taken on the Metro Railway live animals and birds. However, security person on duty may take along sniffer dogs for the purpose of security.

(4) If any official of metro railway has reason to believe that any person is carrying with him, in a container of any form, or otherwise, any dangerous or offensive material, he may cause such container to be opened by its carrier for the purposes of ascertaining its contents.

(5) Any official of metro railway may remove from the metro railway any person taking with him any dangerous or offensive material.

5. Notwithstanding anything contained in these rules, the members of the Armed Forces of the Union Government, the State Police, the Para-military forces, the National Cadet Corps, and other uniformed forces of the Central Government, State Governments or the Union Territories, while on metro railway in the course of their duty, may carry the authorized weapons, arms and ammunition.

6. Application of other Acts and rules.-(1) Nothing in these rules shall be deemed to detract from the operation of:-

(a) Explosives Act, 1884 (Act 4 of 1884);

(b) Explosives Rules, 1983;

(c) The Arms Act, 1959 (Act 54 of 1959); and

(d) The Arms Rules, 1962.

(2) Nothing in these rules shall prevent carrying of one piece of safety match box or a pocket cigarette gas lighter by a metro railway passenger.

7. Diseases declared to be infectious and contagious.- No person suffering from any infectious or contagious diseases including the following, shall travel by the metro railway, namely:-

(a) Cerebra-Spinal meningitis;

(b) chicken-pox;

(c) cholera;

(d) diphtheria;

(e) measles;

(f) mumps;

(g) scarlet fever;

(h) typhus fever;

(i) typhoid fever;

(j) whooping cough; and

(k) any other disease declared as contagious and highly infectious by Central or State Government.

Provided that a closed (non-infective) leprosy patient carrying a certificate from a registered medical practitioner certifying him to be non-infective may travel by the metro railway.

IndiaCode

8. **Particulars of ticket.-**(1)Any person desirous of travelling on the metro railway shall, upon payment of fare, be issued with a ticket by the metro railway administration or an agentauthorizedin this behalf. For such travel, he shall be governed by the Business Rules of Metro Railway Administration.

(2) The ticket issued under sub-rule (1) shall be of the following types, namely:-

(a) Single journey ticket, which can also be contactless smart tokens or paper contactless smart cards;

(b) stored value cards, valid for the period as authorized;

(c) Group Ticket for group journey as authorized;

(d) any other ticket as authorized in the Business Instructions published by metro railway administration from time to time.

[F.No.K-14011/34/2013-MRTS-III]
MUKUND KUMAR SINHA, Officer on Special Duty(UT) &
Ex-officio Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर**, 2014**

सा.का.नि. 759 (अ)--केंद्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चैन्नई मेट्रो रेल (दुर्घटना की सूचना और जांच) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "यात्री" से चैन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 के नियम 8 के उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी प्रकार के विधिमान्य टिकट या पास के साथ चैन्नई मेट्रो रेल में यात्रा कर रहा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) तकनीकी योजना बनाने और मैट्रो रेल की सुरक्षा के संबंध में, "केंद्रीय सरकार" से, भारत सरकार का रेल को देखने वाला मंत्रालय अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम और मेट्रो रेल साधारण नियम, 2013 में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम और मेट्रो रेल साधारण नियम, 2013 में क्रमशः उनके हैं ।

3. दुर्घटना की सूचना—जहां, चैन्नई मेट्रो रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में, यदि--

(क) किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना होती है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में यथापरिभाषित किसी मानव जीव की हानि या घोर उपहति होती है या मेट्रो रेल संपत्ति को ऐसी गंभीर क्षति कारित होती है, जिसका वर्तमान मूल्य दो करोड़ रुपए से अधिक है ; या

(ख) रेलगाड़ियों के बीच कोई टक्कर होती है ; या

(ग) यात्रियों का वहन करने वाली कोई रेलगाड़ी या ऐसी रेलगाड़ी का कोई भाग पटरी से उतरता है ; या

(घ) किसी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना होती है, जिसमें प्रायः मानव जीवन की हानि या यथापूर्वोक्त घोर उपहति होती है,

तब मेट्रो रेल के उस अनुभाग का, जहां दुर्घटना हुई है, मेट्रो रेल का भारसाधक पदधारी, दुर्घटना की सूचना, बिना विलंब के, प्ररूप-1 में दी गई विशिष्टयों को अंतर्विष्ट करते हुए, निम्नलिखित को देगा,--

(i) मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ;

(ii) रेल मंत्रालय ;

(iii) शहरी विकास मंत्रालय ;

(iv) राज्य सरकार ;

(v) जिला कलक्टर ;

(vi) पुलिस उपायुक्त, जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई है ;

(vii) पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमा में दुर्घटना हुई है ; और

(viii) ऐसा अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार ने इस निमित्त नियुक्त किया है ।

4. सूचना भेजने का ढंग—अधिनियम की धारा 38 के अधीन दुर्घटना की सूचना, मेट्रो रेल प्रशासन, बिना किसी विलंब के, नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को ई-मेल या टेलीफैक्स या टेलीफोन से या विशेष संदेशवाहक या ऐसे अन्य साधनों द्वारा भेजेगा, जो उपलब्ध हो सके ।

5. दुर्घटनास्थल पर पहुंचने की सुविधा -- जब कभी चैन्नई मेट्रो रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में कोई दुर्घटना हो तो मेट्रो रेल प्रशासन, अधिनियम की धारा 38 के अधीन नियुक्त या प्रतिनियुक्त जिला कलैक्टर या मजिस्ट्रेट को या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग को या किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसको उक्त जांच आयोग अधिनियम के सभी या कोई उपबंध लागू होते हैं, और मेट्रो रेल आयुक्त, चिकित्सा अधिकारियों, पुलिस और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को उन्हें शीघ्र

दुर्घटना स्थल पर तत्परता से पहुंचने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा और उन प्राधिकारियों की सम्यक् जांच करने में और दुर्घटना के कारण के विषय में साक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा ।

6. धारा 43 के अधीन मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा दुर्घटना की जांच और उसकी रिपोर्ट की प्रक्रिया--(1) अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) के अधीन किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना की प्राप्ति पर, जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन की हानि या ऐसी घोर उपहति हुई है जिससे किसी यात्री को स्थायी प्रकृति की पूर्ण या आंशिक नि:शक्तता हुई है, मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, यथासंभव शीघ्र, मेट्रो रेल प्रशासन के भारसाधक पदधारी को उन कारणों की, जिनके कारण दुर्घटना हुई है, जांच करने के अपने आशय को अधिसूचित करेगा और साथ ही, जांच की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसे संसूचित करेगा :

परंतु इस नियम के अधीन जांच केवल उन मामलों में अनिवार्य होगी, जहां ऐसे यात्री, जिनकी मृत्यु या घोर उपहति हुई है, यात्रियों को ले जा रही रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे :

परंतु यह और कि यदि कोई व्यक्ति मेट्रो रेल सेवक होते हुए या विधिमान्य पास या टिकट रखते हुए, गाड़ी के बाहर, जैसे छतों पर या टक्कर-रोक पर, यात्रा करते हुए मारा जाता है या उसे क्षति कारित होती है या जो रेल ट्रेक पर कुचला जाता है, तो इन नियमों के अधीन कोई जांच अनिवार्य नहीं होगी ।

(2) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, गैर-राजस्व गाड़ियां, दुर्घटना राहत गाड़ियां, गाड़ियों को खीचने वाली या कर्मकारों को वहन करने वाली विभागीय गाड़ियां, यात्री गाड़ियां समझी जाएंगी और उस गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप किसी कर्मकार के मारे जाने या घोर उपहति होने पर इन नियमों के अधीन जांच अनिवार्य होगी ।

(3) मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, जांच करते समय, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, संबद्ध जिले के जिला कलक्टर और पुलिस आयुक्त को सूचित करेगा या कराएगा ।

(4) यथास्थिति, जिला कलक्टर या पुलिस आयुक्त, यथासंभव, मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा संचालित की जाने वाली जांच में वैयक्तिक रूप से हाजिर रहेगा या जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी ज्येष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा ।

(5) यथास्थिति, किसी दुर्घटना की बाबत नियम 3 में निर्दिष्ट की गई कोई जांच पूरी हो जाने पर मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, उसकी संक्षिप्त प्रारंभिक रिपोर्ट मेट्रो रेल प्रशासन, मुख्य आयुक्त रेल सुरक्षा को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट तथ्यपरक होगी और उसमें आलिप्त किए गए व्यक्तियों के लिए कोई प्रतिनिर्देश अंतर्विष्ट नहीं होगा ।

(6) मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, यथासंभव अपनी जांच पूरी करेगा और मुख्य आयुक्त रेल सुरक्षा को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अपनी रिपोर्टों की प्रतियां निम्नलिखित को अग्रेषित करेगा--

(i) मेट्रो रेल प्रशासन ;

(ii) भारत सरकार (शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय) ;

(iii) राज्य सरकार :

परंतु यह और कि यदि मेट्रो रेल मुख्य सुरक्षा आयुक्त यह पाता है कि दुर्घटना तोड़फोड़ या रेलगाड़ी के ध्वस्त किए जाने के कारण हुई है, तो मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त अपनी रिपोर्टों की एक प्रति निदेशक, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और पुलिस आयुक्त, चैन्नई को भी अग्रेषित करेगा ।

(7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट विस्तृत रिपोर्ट गोपनीय होगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन ;

(ख) दुर्घटना के अवस्थान का वर्णन ;

(ग) लिए गए साक्ष्य का विस्तृत कथन ;

(घ) प्राप्त निष्कर्ष, असहमति के टिप्पण भी हो, यदि कोई हो ;

(ङ) प्राप्त निष्कर्षों के लिए कारण ;

(च) किए गए नुकसान की प्रकृति और विस्तार ;

(छ) जब आवश्यक हो, दुर्घटना का दृष्टांत देना वाला खाका ;

(ज) मारे गए या आहत मेट्रो रेल कर्मचारियों की संख्या ;

(झ) मारे गए या आहत यात्रियों की संख्या ;

(ञ) क्या यह प्रणाली की चूक रही है या किसी व्यक्ति की चूक ;

(ट) दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कर्मचारिवृंद द्वारा अतिक्रमण किए जाने वाले नियमों का निष्कर्षण अंतर्विष्ट करने वाला परिशिष्ट ; और

(ठ) प्रस्तावित उपचारात्मक कार्यवाही ।

7. मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित जांचों के स्थान पर मेट्रो रेल कर्मचारियों का हाजिर रहना—जब मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा नियम 6 के अधीन कोई जांच की जा रही है, मेट्रो रेल प्रशासन, किसी ऐसे मेट्रो रेल कर्मचारी के, जिसके साक्ष्य की ऐसी जांच में आवश्यकता पड़ने की संभावना है, जांच स्थल पर हाजिर रहने की व्यवस्था करेगा और मेट्रो रेल प्रशासन निम्न भी करेगा:—

(क) नियम 12 के उप-नियम (1) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में वर्णित अधिकारियों को, उस तारीख, समय और स्थान की सूचना, जिस पर जांच प्रारंभ होगी, दिलाएगा ; और

(ख) मेट्रो रेल कर्मचारियों के जांच में साक्षी के रूप में हाजिर रहने की, यदि अपेक्षित हो, व्यवस्था करेगा ।

8. मेट्रो रेल मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा रिपोर्ट का प्रकाशन--मेट्रो रेल मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में सिफारिश करेगा और रेल मंत्रालय को सूचना देने के साथ, एक प्रति शहरी विकास मंत्रालय को देगा :

परंतु यदि रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में मेट्रो रेल मुख्य सुरक्षा आयुक्त की सिफारिश पर शहरी विकास मंत्रालय की कोई शर्त है, तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ऐसे मामले का अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा ।

9. अधिनियम की धारा 40 के अधीन मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना की जांच -- (1) यदि किसी कारण से मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होने के पश्चात् किसी पूर्वतर तारीख को अधिनियम की धारा 38 के अधीन आने वाली किसी दुर्घटना की जांच करने में असमर्थ रहता है, तो मेट्रो रेल प्रशासन को सूचित करेगा कि उसके द्वारा जांच क्यों नहीं की जा सकती है ।

(2) जहां अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा ऐसी जांच नहीं की जाती है या जहां मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने धारा 39 की उप-धारा (2) के अधीन मेट्रो रेल प्रशासन को सूचित किया है कि वह किसी जांच को करने में समर्थ नहीं है, वहां मेट्रो रेल प्रशासन नियम 11 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाने वाली जांच कराएगा ।

10. अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत दुर्घटना की जांच-- (1) जब कभी कोई दुर्घटना, जो अधिनियम की धारा 38 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की नहीं है, जैसे टाली जा सकने वाली टक्करों, नियमों के भंग या अन्य तकनीकी दुर्घटनाएं, मेट्रो रेल के कार्यकरण के दौरान होती है, तब मेट्रो रेल प्रशासन का भारसाधक पदधारी नियम 11 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार दुर्घटना में की जाने वाली किसी जांच को या तो संयुक्त जांच या कोई विभागीय जांच करके करवाएगा और ऐसी घटना की रिपोर्ट तैयार करेगा और तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही करेगा ।

11. मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा जांच की प्रक्रिया – (1) मेट्रो रेल प्रशासन, अधिनियम की धारा 40 और धारा 45 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, नियम 3 और नियम 11 में यथा विनिर्दिष्ट उन कारणों का, जिससे दुर्घटना हुई है, पूरा अन्वेषण करने के लिए मेट्रो रेल के पदाधिकारियों से मिलकर बनने वाली एक समिति (जिसे संयुक्त जांच या विभागीय जांच कहा गया है) का गठन करके जांच कराएगा ।

(2) संयुक्त जांच : मेट्रो रेल प्रशासन उन कारणों के, जिससे दुर्घटना हुई है, पूर्ण अन्वेषण के लिए मेट्रो रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा, जिसे संयुक्त जांच कहा जाएगा, तत्परता से जांच किए जाने का आदेश करेगा ।

(3) विभागीय जांच : यदि मेट्रो रेल प्रशासन का कोई संबंधित विभाग दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, तो दुर्घटना के लिए उत्तरदायी विभाग के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह एक 'विभागीय जांच' कराए, जैसा वह उचित समझे । यदि उसके कर्मचारिवृंद या सिस्टम के कार्यकरण में त्रुटि है, तो वह सदृश दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऐसे उपायों को अंगीकृत करेगा या सुझाव देगा, जैसा वह उचित समझे ।

12. संयुक्त जांच या विभागीय जांच की सूचना -- (1) जब कभी संयुक्त जांच या विभागीय जांच करायी जानी हो तब मेट्रो रेल प्रशासन का भारसाधक पदधारी वह तारीख, स्थान और घंटे, जिसको जांच आरंभ होगी, की सूचना दिलवाएगा जो निम्नलिखित अधिकारियों को दी जाएगी, अर्थात् :-

(क) मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ;

(ख) उसे जिले का कलक्टर, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटित हुई है या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे तमिलनाडु सरकार इस निमित्त नियुक्त करें ;

(ग) पुलिस उपायुक्त, जिसकी अधिकारिता में ऐसा स्थान है, जहाँ दुर्घटना घटित हुई है ; और

(घ) पुलिस थाने का भार साधक आफिसर, जिसकी अधिकारिता में ऐसा स्थान आता है ।

(2) उस तारीख, स्थान और घंटे को जिसको ऐसी जांच प्रारंभ होगी, ऐसे नियत किया जाएगा जिससे उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके, जहां जांच होनी है ।

13. संयुक्त जांच और विभागीय जांच के लिए प्रक्रिया और उस पर की गई कार्रवाई -- (1) संयुक्त जांच या विभागीय जांच, पर्याप्त रूप से विस्तृत होगी जिससे दुर्घटना के कारण को इंगित किया जा सके और ऐसी जांच के पूरा होने के पश्चात् रिपोर्ट मेट्रो रेल प्रशासन को प्रस्तुत की जाएगी और ऐसी रिपोर्ट में नियम 6 के उप-नियम (7) में यथाविनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी ।

(2) मेट्रो रेल प्रशासन उस कार्यवाही के बारे में, जो दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कर्मचारिवृंद के विषय में या नियमों के पुनरीक्षण के लिए या कार्यकरण की प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए किए जाने के लिए आशयित है, अपनी सिफारिशों के साथ मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त और रेल मंत्रालय को सूचना हेतु उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति भेजेगा ।

14. दुर्घटनाओं की विवरणी -- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, मेट्रो रेल प्रशासन उन सभी दुर्घटनाओं की, जो उसे वित्तीय वर्ष के दौरान मेट्रो रेल में घटित हुई थी, चाहे कोई व्यक्ति आहत हो या नहीं, एक विवरणी, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप - 2 में केंद्रीय सरकार (शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय) को भेजेगा ।

[फा. सं. के-14011/34/2013-एम.आर.टी.एस.-3]

मुकुन्द कुमार सिन्हा, ओ.एस.डी. (शहरी यातायात) और
ई.ओ. संयुक्त सचिव

प्ररूप - 1

(नियम 3 देखिए)

मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अधीन दुर्घटना की सूचना

गाड़ी दुर्घटना अनुवर्ती सूचना सं. :

दिन/मास/वर्ष को मेट्रो रेल की सवारी गाड़ी की दुर्घटना*
नोडल अधिकारी/मेट्रो से दिन/मास/वर्ष को घंटे:मिनट पर प्राप्त की गई सूचना

दुर्घटना की तारीख और समय	दिन/मास/वर्ष को घंटे:मिनट
सेक्शन	
ब्लॉक सेक्शन और किलोमीटरेज	
गेज/लाइन/ट्रैक्शन	
स्टेशन/सिग्नलिंग/इंटरलाकिंग	
कार्यकरण प्रणाली	
गाड़ी सं0	
भार	
इंजिन संख्या	
संक्षिप्त विवरण	

आहत या मृत व्यक्ति	
सहायता व्यवस्थाएं	
घटनास्थल पर अधिकारीगण	
प्रथमदृष्ट्या कारण	
प्रत्यावर्तन में लगने वाला समय	
अन्य सूचना, यदि कोई हो	
राज्य/जिला	

*दुर्घटना का प्रकार (नाम)
तारीख : दिन/मास/वर्ष पदनाम

प्ररूप – 2

(नियम 14 देखिए)

मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 46 के अधीन ऐसी दुर्घटनाओं की विवरणी, जो वर्ष के दौरान घटित हुई हैं,

मेट्रो रेल की गाड़ी दुर्घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

क्रम संख्या	तारीख	क्षेत्र	गेज	सेक्शन	स्टेशन/मध्य स्टेशन पर/ कार्यस्थल पर	गाड़ी सं0	संक्षिप्त विवरण	आहत या मृतकों की संख्या			
								पी* आर* ओ*	के*	जी*	एस*
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

प्रथमदृष्ट्या कारण	निर्णायक कारण	क्षति की लागत				यातायात का अवरोध	जांच का प्रकार सी.आर.एस./ विभाग	निष्कर्ष/ परिणाम	उत्तर-दायित्व	की गई कार्रवाई	धारा 45 लागू है या नहीं
		इंजी.	मैके.	इले.	अन्य						
10	11	12				13	14	15	16	17	18

* पी - यात्री
* आर - कर्मचारिवृंद (मेट्रो स्टाफ)
* ओ - अन्य
* के - मृत व्यक्ति
* जी - गंभीर रूप से आहत
* एस - साधारण आहत

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2014

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (No.60of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Chennai Metro Railway (Notices of Accidents and Inquiries thereto) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. -(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act' means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);
(b) "Form" means a Form appended to these rules;
(c) "Passenger" means a person travelling on the Chennai Metro Railway with a valid ticket of any type as specified in sub-rule(2) of rule 8 of the Chennai Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2014 or pass;
(d) "Central Government", in relation to technical planning and safety of metro railways, means the Ministry of the Government of India dealing with Railways.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and Metro Railway General Rules,2013 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Metro Railway General Rules,2013.

3. Notice of accident.-Where, in the course of working Chennai Metro Railway if,-

(a) any accident attended with loss of any human life or with grievous hurt, as defined in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860),or with such serious damage to metro rail property of a present value exceeding two crore rupees;
(b) any collision between trains; or
(c) the derailment of any train carrying passengers, or of any part of such train; or
(d) any accident of a description usually attended with loss of human life or with such grievous hurt as aforesaid;

occurs, the metro railway official in charge of the section of the metro railway on which the accident occurs, shall, without delay, give notice of the accident in the format and containing the particulars as given in Form I to -

(i) The Commissioner of the Metro Railway Safety;
(ii) The Ministry of Railways;
(iii) The Ministry of Urban Development;
(iv) State Government;
(v) The District Collector;
(vi) The Deputy Commissioner of Police, within whose jurisdiction the accident occurs;
(vii) The Officer-in-Charge of the Police Station within local limits of which the accident occurs; and
(viii) Such other Magistrate or Police officer as may be appointed in this behalf by the Central Government.

4. Mode of sending notices.-The notice of accident under section 38 of the Act shall be sent, without delay, by the Metro Railway Administration to the authorities specified in rule 3 by email, or telefax, or telephone, or through a special messenger, or such other means as may be available.

5. Facility for reaching the site of the accident.-Wheneverany accident has occurred in the course of working the Chennai Metro Railway, the Metro Railway Administration shall extend all reasonable assistance to the District Collector or the Magistrate appointed or deputed under section 38 of the Act, or to the Commission of Inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or any other authority to whom all or any of the provisions of the said Commissions of Inquiry Act have been made applicable, and to the Commissioner of the Metro Railway Safety, the Medical Officers, the police and others concerned, to enable them to reach the site of the accident promptly, and shall also assist those authorities in making due inquiries and in obtaining evidence as to the cause of the accident.

6. Procedure for inquiry into accident by the Commissioner of the Metro Railway Safetyand report thereon under section 43 of the Act.-

(1) On receipt of notice under sub-section (2) of section 38 of the Act of the occurrence of an accident resulting in loss of human life or grievous hurt causing total or partial disablement of permanent nature to the passengers, the Commissioner of the Metro Railway Safety shall, as soon as may be, notify the Metro Railway Administration of his intention to hold an inquiry into causes that led to the accident and shall at the same time, fix and communicate the date, time and place of the inquiry.

Provided the inquiry under this rule shall be obligatory only in those cases where the passengers, killed or grievously hurt were travelling in the train carrying passengers:

Provided further that if a person being a metro railway servant or holding valid pass or ticket travelling outside the rolling stock, such as on the roofs or on the buffers, is killed or grievously hurt, or is runover on the railway track, an inquiry under these rules shall not be obligatory.

(2) For the purpose of these rules, the non-revenue trains, accident relief trains, tower wagons or any departmental trains carrying workmen shall be treated as passenger trains and in the event of workmen being killed or grievously hurt as a result of an accident to the train, an inquiry under these rules shall be obligatory.

(3) The Commissioner of the Metro Railway Safety shall, while conducting an inquiry, inform or cause to inform the Chief Secretary of the State Government, the District Collector and the Commissioner of Police of the District concerned.

(4) The District Collector or the Commissioner of Police, as the case may be, shall, as far as possible, attend the inquiry conducted by the Commissioner of the Metro Railway Safety personally or else depute a senior officer to represent him at the inquiry.

(5) On completion of an inquiry in respect of any of the accidents referred to in rule 3, the Commissioner of the Metro Railway Safety shall submit a preliminary narrative report to the Metro Railway Administration and Chief Commissioner of Railway Safety, and such report shall be factual and shall not contain any reference to persons implicated.

(6) The Commissioner of the Metro Railway Safety shall, as soon as possible, complete his inquiry and submit a detailed report to the Chief Commissioner of Railway Safety and shall forward copies of this report to-

(i) the Metro Railway Administration;
(ii) the Government of India (Ministry of Urban Development and Ministry of Railways);
(iii) the State Government:

Provided that the Commissioner of the Metro Railway Safety shall also forward a copy of his report to Director, Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India; and the Commissioner of Police, Chennai, if the CMRS finds that the accident was caused by sabotage or train wrecking.

(7) The detailed report referred to in sub-rule (6) shall be confidential and shall contain the following particulars, namely:-

(a) brief description of the accident;

(b) description of the locality of the accident;

(c) detailed statement of the evidence taken;

(d) the conclusions arrived at together with a note of dissent, if any;

(e) reasons for conclusions arrived at;

(f) the nature and extent of the damage done;

(g) when necessary, a sketch illustrative of the accident;

(h) the number of metro railway employees killed or injured;

(i) the number of passengers killed or injured;

(j) whether it has been a system failure or failure of an individual;

(k) an appendix containing extracts of the rules violated by the staff responsible for the accidents; and

(I) remedial action proposed.

7. Attendance of Metro Railway employees at the place of inquiries conducted by Commissioner of the Metro Railway Safety or a Magistrate. - When an inquiry by the Commissioner of the Metro Railway Safety under rule 6 is being made, the Metro Railway Administration shall arrange for the attendance, as long as may be necessary, at the place of inquiry, of any metro railway employee whose evidence is likely to be required at such inquiry and the Metro Railway Administration shall also:-

(a) cause notice of the date, hour and place at which the inquiry shall begin to be given to the officers mentioned in clauses (b), (c) and (d) of sub-rule (1) of rule 12; and

(b) arrange for the attendance of Metro Railway employees, if required, as witness at the inquiry.

8. Publication of Report by the Chief Commissioner of Railway Safety.-The Chief Commissioner of Railway Safety shall make recommendation in regard to the publication of the report and inform the Ministry of Railways, with a copy to the Ministry of Urban Development:

IndiaCode

Provided that in case the Ministry of Urban Development has reservations on the recommendations of the Chief Commissioner of Railway Safety regarding publication of the report, the matter shall be finally decided by the Ministry of Civil Aviation.

9. Inquiry into accidents by Metro Railway Administration under section 40 of the Act.-

(1) If for any reason, the Commissioner of the Metro Railway Safety is unable to hold an inquiry into an accident under section 38 of the Act at an early date after the occurrence of such an accident, he shall inform the Metro Railway Administration the reason as to why the inquiry cannot be held by him.

(2) Where no such inquiry is held by the Commissioner of the Metro Railway Safety under sub-section (1) of section 39 of the Act or where the Commissioner of the Metro Railway Safety has informed the Metro Railway Administration under sub-section (2) of section 39 of the Act that he is not able to hold an inquiry, the Metro Railway Administration shall cause an inquiry to be made in accordance with the procedure specified in rule 11.

10. Inquiries into accidents covered by section 45 of the Act.– Whenever any accident, not of the nature specified in section 38 of the Act, such as averted collisions, breach of rules, or other technical accidents, occurs in the course of working of a Metro Railway, the Metro Railway Administration shall cause an inquiry, either a joint inquiry or a departmental inquiry to be held into the accident in accordance with the procedure specified in rule 11 and prepare a report on such accident and take immediate remedial action.

11. Procedure for inquiry by the Metro Railway Administration. -

(1) On receipt of information under section 40 and 45 of the Act, the Metro Railway Administration shall cause an inquiry (to be called a Joint Inquiry or a Departmental Inquiry) by constituting a committee of Metro Railway officials for a thorough investigation of the causes which led to the accident as referred to in rule 3 and rule 10.

(2) **Joint inquiry**: The Metro Railway Administration shall order an inquiry to be promptly made by a Committee of Metro Railway Officers, to be called as Joint Inquiry for the thorough investigation of the cause which led to the accident.

(3) **Departmental Inquiry:** If any department of the Metro railway administration concerned accepts the responsibility of the accident, it shall be the duty ofthe Head of the department responsible for the accident to make an inquiry called 'Departmental Enquiry' as he may consider necessary. If his staff or the system of working is at fault, he shall adopt or suggest such measures as he may consider necessary for preventing a recurrence of similar accidents.

12. Notice of Joint Inquiry or Departmental Inquiry. -

(1) Whenever a joint inquiry or departmental inquiry is to be made, the Metro Railway Administration shall cause notice of the date, place and hour at which the inquiry shall commence, to be given to the following officers, namely:-

(a) the Commissioner of the Metro Railway Safety;

(b) the District Collector of the district in whose jurisdiction the accident occurred or such other officer as the Government of Tamil Nadu may appoint in this behalf;

(c) the Deputy Commissioner of the police having jurisdiction at the place where the accident occurred; and

(d) the officer-in-charge of the police station having jurisdiction at such place.

(2) The date, place and hour at which the inquiry shall commence shall be fixed so as to give the officers mentioned in sub-rule (1) sufficient time to reach the place where the inquiry is to be held.

13. Report of Joint Inquiry or Departmental Inquiry and the action to be taken thereon.-

(1) The joint inquiry or departmental inquiry shall be sufficiently detailed so as to point out the cause of the accident and after completion of such inquiry, the report shall be submitted to the Metro Railway Administration and such report shall contain the particulars as specified in sub rule (7) of rule 6.

(2) The Metro Railway Administration shall, with its remarks as to the action that is intended to be taken in regard to the staff responsible for the accident, or for the revision of rules or policies relating to operations, maintenance, human resources etc. or the system of working, forward a copy of the report referred to in sub-rule (1) to the Commissioner of the Metro Railway Safety and the Ministry of Railways for information.

14. Return of accidents.-At the end of each financial year, the Metro Railway Administration shall send to the Central Government (Ministry of Urban Development and Ministry of Railways) a return of all accidents that occurred on the Metro railway during that financial year, whether attended with injury to any person or not in the Form II as appended to these rules.

[F. No. K-14011/34/2013-MRTS-III]

MUKUND KUMAR SINHA,Officer on Special Duty (UT) &

Ex-officio Jt. Secy.

IndiaCode

FORM I (See rule 3)

NOTICE OF ACCIDENT UNDER SECTION 38 OF THE METRO RAILWAY (OPERATION AND MAINTENANCE) ACT, 2002

Consequential Train Accident Message No.:

ACCIDENT* OF PASSENGER TRAIN ON METRO RAILWAY ON DD/MM/YYYY

Information received from Nodal Officer / Metro at HH : MM hrs on DD/MM/YYYY

Date & Time of Accident	DD/MM/YYYY at HH : MM hrs
Section	
Block Section and Kilometrage	
Gauge/Line/Traction	
Station /Signalling/Interlocking	
System of working	
Train No.	
Load	
Engine No.	
Brief Particulars	
Casualty	
Relief Arrangements	
Officers at Site	
Prima-facie cause	
Time of Restoration	
Other information, if any	
State / District	

*Type of Accident

IndiaCode

Date: DD/MM/YYY

(Name)

Designation

FORM II (See rule 14)

RETURN OF ACCIDENTS WHICH OCCURRED DURING THE YEAR, TO BE SUBMITTED UNDER SECTION 46 OF THE METRO RAILWAY (OPERATION AND MAINTENANCE) ACT, 2002

FORMAT FOR ANNUAL REPORT OF TRAIN ACCIDENTS ON METRO RAILWAYS

S.No.	Date	Regions	Gauge	Section	At Station / Mid Section / At work site	Train No.	Brief Particulars	Casualties				Prima Facie Cause	Final Cause	Cost of Damage				Interruption to through Traffic	Type of Inquiry CRS/Department	Findings/Outcome	Responsibility	Action Taken	Whether Section 45 (Yes/No)
								P* R* O*	K*	G*	S*			Engg	Mech	Elect.	Others						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12				13	14	15	16	17	18

*P - Passenger
*R - Staff (Metro Staff)
*O - Others
*K - Killed
*G - Grievous Injured
*S - Simple Injured

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 760(अ).--केंद्रीय सरकार, मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 53 की उप-धारा (3) और धारा 57 के साथ पठित धारा 100 की उप-धारा (2) और धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चैन्नई मैट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;

(ख) "दावा आयुक्त" से अधिनियम की धारा 48 के अधीन नियुक्त दावा आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "आवेदक" से अधिनियम की धारा 58 के अधीन दावा आयुक्त को आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (i) में है ;

(च) "विधिक प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधि की दृष्टि में मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है ;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और अधिनियम और मेट्रो रेल साधारण नियम, 2013 में परिभाषित हैं वहीं अर्थ है जो उस अधिनियम और मेट्रो रेल साधारण नियम, 2013 में क्रमश: उनके हैं ।

3. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया – (1) मैट्रो रेल के कार्यकरण के दौरान घटित ऐसी दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के संदाय के लिए, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा किसी संपत्ति को कोई नुकसान अंतर्वलित है, दावा आयुक्त को आवेदन, या तो आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधियों द्वारा पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु दावा आयुक्त को कोई आवेदन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक आवेदन अच्छी गुणवत्ता वाले कागज के एक ओर दोहरे अंतरल में स्पष्ट रूप से टंकित होगा ।

4. आवेदन की संवीक्षा -- (1) दावा आयुक्त प्रत्येक आवेदन पर ऐसी तारीख का पृष्ठांकन करेगा जिसको नियम 3 के अधीन वह प्रस्तुत या प्राप्त किया जाता है और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) संवीक्षा करने पर यदि आवेदन उचित पाया जाता है तो उसे रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और क्रम संख्यांक दिया जाएगा ।

(3) संवीक्षा करने पर यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है और पाई गई त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है तो दावा आयुक्त, आवेदक को, अपनी उपस्थिति में उसका सुधार करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और यदि त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है तो दावा आयुक्त को त्रुटि का सुधार करने के लिए ऐसा समय अनुज्ञात कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

IndiaCode

(4) यदि आवेदक उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि सुधारने में असफल रहता है तो दावा आयुक्त, आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और तदनुसार आवेदक को अधिसूचित कर सकेगा ।

(5) व्यथित व्यक्ति द्वारा उप-नियम (4) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील, ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर की जा सकेगी और दावा आयुक्त द्वारा ऐसी अपील पर विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा ।

5. मैट्रो रेल प्रशासन को सूचना -- (1) दावा आयुक्त, मैट्रो रेल प्रशासन को सूचना, उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली सुनवाई की तारीख को आवेदन के विरुद्ध कारण बताने के लिए, जारी करेगा ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना के साथ आवेदन की एक प्रति संलग्न की जाएगी ।

(3) यदि मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को हाजिर नहीं होता है या हाजिर होता है और दावे को मंजूर कर लेता है तो दावा आयुक्त तुरंत आवेदन का निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(4) यदि मैट्रो रेल प्रशासन दावे का विरोध करता है तो वह सुनवाई की तारीख को या उसके पूर्व ऐसे दस्तावेज की प्रति के साथ, जिसका उसने अवलम्ब लिया है, उत्तर फाइल कर सकेगा और ऐसा उत्तर तथा दस्तावेज की प्रतियां अभिलेख का भाग होंगी ।

6. शपथ-पत्र का फाइल किया जाना -- (1) दावा आयुक्त आवेदक और मैट्रो रेल प्रशासन को अपने दावे के समर्थन में, यदि कोई हो, शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य देने का निदेश दे सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां दावा आयुक्त मामले के उचित विनिश्चय के लिए आवश्यक समझाता है, वहां वह किसी अभिसाक्षी की प्रतिपरीक्षा का आदेश दे सकेगा ।

7. प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाइल किया जाना -- (1) मैट्रो रेल प्रशासन आवेदन की सुनवाई की तारीख को या उसके पूर्व आवेदन और दस्तावेजों की प्रतियों का उत्तर फाइल कर सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए उत्तर में मैट्रो रेल प्रशासन आवेदन में कथित तथ्यों को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार करेगा, उनसे इंकार करेगा या उन्हें स्पष्ट करेगा और अपने उत्तर में ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का कथन करेगा, जो आवश्यक हो ।

8. आवेदन का संक्षिप्त निपटारा -- दावा आयुक्त, आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उसकी यह राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो आवेदन को संक्षिप्त: खारिज कर सकेगा ।

9. आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई और निपटारा -- (1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य ऐसी तारीख को, जिसके लिए ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक हाजिर होता है और मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि हाजिर नहीं होता है तो दावा आयुक्त अपने विवेकाधिकार से सुनवाई को स्थगित कर सकेगा या आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) जहां मैट्रो रेल प्रशासन के विरुद्ध किसी आवेदन की सुनवाई एक पक्षीय की जा रही है वहां मैट्रो रेल प्रशासन दावा आयुक्त को उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि आवेदक दावा आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि सूचना की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई थी या उसके प्रतिनिधि को किसी पर्याप्त कारण से हाजिर होने से निवारित किया गया था तो दावा आयुक्त ऐसे निबंधनों के आधार पर, जो वह ठीक समझे, एकपक्षीय सुनवाई को अपास्त करने का आदेश पारित कर सकेगा और आवेदन पर कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा ।

10. व्यतिक्रम के आवेदन का निपटारा -- (1) आवेदन पर सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या किसी अन्य तारीख को, जिसको ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, मैट्रो रेल प्रशासन का प्रतिनिधि हाजिर होता है और आवेदक हाजिर नहीं होता है, वहां दावा आयुक्त, अपने विवेकाधिकार से, सुनवाई स्थगित कर सकेगा या आवेदन की व्यतिक्रम पर सुनवाई कर सकेगा और उसका निपटारा कर सकेगा ।

(2) जहां किसी आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा व्यतिक्रम के लिए आवेदक के विरुद्ध किया जाता है, वहां आवेदक उसे अपास्त करने के लिए कोई आदेश करने हेतु दावा आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और यदि आवेदक दावा आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि सूचना की सम्यक् रूप से तामील नहीं हुई थी या उसे पर्याप्त कारणों से हाजिर होने से रोका गया था तो दावा आयुक्त ऐसे निबंधनों के आधार पर, जो वह ठीक समझे, व्यतिक्रम में खारिजी को अपास्त करने का आदेश कर सकेगा और आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

11. साक्षियों को समन करना और साक्ष्य अभिलिखित करने की पद्धति -- (1) यदि कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को समन करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो दावा आयुक्त, ऐसे साक्षियों को हाजिर होने के लिए समन जारी करेगा जब तक कि वह यह समझता है कि उसकी हाजिरी मामले के उचित विनिश्चय के लिए आवश्यक नहीं है ।

(2) साक्षी की परीक्षा प्रारंभ होने पर दावा आयुक्त, प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के सार का संक्षिप्त ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा :

परंतु यदि दावा आयुक्त ऐसा ज्ञापन तैयार नहीं करता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता के कारणों को अभिलिखित करेगा और लिखित में ऐसा ज्ञापन तैयार करवाएगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा ।

12. दावा आयुक्त का विनिश्चय -- दावा आयुक्त दस्तावेजों, शपथपत्रों और अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, के परिशीलन के आधार पर यथासंभव शीघ्रता के साथ और ऐसी मौखिक दलीलों को, जो दी जाएं, सुनने के पश्चात् प्रत्येक आवेदन का विनिश्चय करेगा ।

13. आदेश का पारित और हस्ताक्षरित किया जाना -- (1) दावा आयुक्त, आवेदक और मैट्रो रेल प्रशासन को सुनने के पश्चात् या तो तुरंत या उसके पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) दावा आयुक्त का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

(3) दावा आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश का निष्पादन सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में किया जाएगा और जहां तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे सिविल न्यायालय की डिक्री की बाबत लागू होते हैं ।

14. विनिश्चय का पुनर्विलोकन -- दावा आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अभिलेख को देखने से प्रकट होने वाली किसी त्रुटि या गलती के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से दावा आयुक्त को किसी ऐसे अंतिम आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है ।

(2) जहां दावा आयुक्त को प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन का कोई पर्याप्त आधार नहीं है वहां वह आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(3) जहां दावा आयुक्त पुनर्विलोकन के आवेदन में किए गए आधारों से संतुष्ट हो जाता है और उसे न्याय के हित में समझता है तो वह आवेदन को मंजूर करेगा :

परंतु पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन, मैट्रो रेल प्रशासन को पूर्व सूचना दिए बिना या उसे हाजिर होने के लिए और उस आदेश के समर्थन में, जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया है, सुनवाई के लिए समर्थ बनाए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा ।

15. दावा आयुक्त द्वारा आदेश या निदेश -- इन नियमों की कोई बात, दावा आयुक्त के ऐसे आदेश पारित करने या ऐसे निदेश देने की, जो उसके आदेशों को प्रभावी करने के लिए या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो, उसकी शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

16. विशेषज्ञों का संगम -- (1) दावा आयुक्त, प्रतिकर के किसी दावे का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक ऐसे विशेषज्ञ को, जो जांच से सुसंगत किसी विषय की कोई जानकारी रखते हैं, सहबद्ध कर सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जांच से सहबद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली फीस या भत्तों का, यदि कोई हो, दावा आयुक्त द्वारा निर्धारण किया जाएगा, जैसा वह ठीक समझे और उसका संदाय मैट्रो रेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा ।

17. प्रतिकर की रकम -- (1) मृत्यु या क्षतियों की बाबत संदेय प्रतिकर की रकम दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रकम होगी ।

(2) किसी ऐसी क्षति के लिए संदेय प्रतिकर की रकम, जो दूसरी अनूसूची के भाग 2 या भाग 3 में विनिर्दिष्ट नहीं है किंतु जो दावा आयुक्त की राय में ऐसी है जो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करने की उसकी संपूर्ण क्षमता से वंचित करती है, चार लाख रुपये होगी ।

(3) किसी ऐसी क्षति की बाबत, संदेय प्रतिकर की रकम (दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी ऐसी क्षति से भिन्न, जिसका परिणाम पीड़ा और वेदना है) ऐसी होगी, जो दावा आयुक्त मामले की अन्य परिस्थितियों के अतिरिक्त, चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् युक्तियुक्त अवधारित करे :

परंतु यदि एक ही दुर्घटना में एक से अधिक क्षति कारित होती है तो ऐसी प्रत्येक क्षति की बाबत प्रतिकर का संदाय किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसी सभी क्षतियों की बाबत कुल प्रतिकर अस्सी हजार रुपये से अधिक नहीं होगा ।

(4) जहां किसी ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर संदत्त किया गया है, जो उस रकम से कम है जिसका प्रतिकर के रूप में संदाय तब किया जाएगा जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या तत्पश्चात् व्यक्ति की क्षति के कारण मृत्यु हो जाती है, वहां मृत्यु के लिए संदेय रकम या पहले संदत्त की गई रकम के बीच के अंतर के बराबर अतिरिक्त प्रतिकर संदत्त किया जाएगा ।

(5) किसी यात्री द्वारा उसके व्यक्तिगत सामान के रूप में वहन किए जाने वाले माल की हानि, विनाश या क्षय के लिए प्रतिकर का संदाय उस सीमा तक किया जाएगा, जो दावा आयुक्त मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए युक्तियुक्त अवधारित करे ।

18. प्रतिकर की सीमा -- नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त नियम के अधीन संदेय कुल प्रतिकर किसी भी दशा में किसी एक व्यक्ति की बाबत पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

पहली अनुसूची

प्ररूप

(नियम 3 देखिए)

यात्रियों की मृत्यु या क्षति अथवा उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत सामान के रूप में वहन किए जा रहे माल के विनाश या नुकसान की बाबत प्रतिकर के दावे के लिए मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 58 के अधीन आवेदन

भाग 1

मामले की तारीख :

मामले का समय :

भाग 2

क्रम संख्या	संलग्न किए गए दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

आवेदक के हस्ताक्षर

दावा आयुक्त कार्यालय के उपयोग के लिए :

फाइल करने की तारीख

या

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

IndiaCode

भाग - 3

दावा आयुक्त के कार्यालय में

..... आवेदक

और

मैट्रो रेल प्रशासन

के मध्य

1. आवेदक की विशिष्टियां :

 नाम और पता

2. दावे का मूल्य

3. (i) मामले के तथ्य :

 (यहाँ कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षिप्त कथन करें, प्रत्येक पैरा में यथासंभव पृथक् विवाद्यक, तथ्य और अन्य बातें अंतर्विष्ट की जाएं।)

 (ii) (क) मांगे गए अनुतोष की प्रकृति

 (ख) अनुतोष का आधार

4. (i) विषय, जो पहले किसी अन्य न्यायालय में फाइल न किए गए हों या लंबित हों (बताएं कि क्या आवेदक ने उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत वर्तमान आवेदन किया गया है, पूर्व में कोई दावा, रिट याचिका या वाद फाइल किया है)

 (ii) यदि आवेदकों ने पूर्व में कोई दावा, आवेदन, वाद रिट या याचिका फाइल की है तो वह प्रक्रम उपदर्शित करें कि जिस पर वह लंबित है और यदि विनिश्चय किया जा चुका है तो आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

5. संलग्नकों की सूची

 1.

 2.

 3.

सत्यापन

मैं, (आवेदक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी, आयु , निवासी यह सत्यापित करता हूं/करती हूँ कि पैरा से पैरा तक में दी गई अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सही है और पैरा से पैरा तक में दी गई अंतर्वस्तुओं पर मेरे सर्वोतम ज्ञान या मुझे दी गई विधिक सलाह के आधार पर सही होने का विश्वास किया जाता है और मैंने किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं है।

तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : पूरा पता

IndiaCode

दूसरी अनुसूची

(नियम 18 देखिए)

मृत्यु और क्षतियों के लिए संदेय प्रतिकर

भाग 1

क्रम संख्या	क्षति की प्रकृति	प्रतिकर की रकम (रुपये)
1	2	3
(1)	मृत्यु के लिए	5,00,000

भाग 2

क्रम संख्या	क्षति की प्रकृति	प्रतिकर की रकम (रुपये)
1	2	3
(1)	दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन के लिए	4,00,000
(2)	एक हाथ और एक पाद की हानि के लिए	4,00,000
(3)	टांग या जांघ से दोहरा विच्छेदन या एक और टांग या जांघ से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि के लिए	4,00,000
(4)	दृष्टि शक्ति की उस विस्तार तक की हानि के लिए जिससे कि दावेदार ऐसा कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके लिए दृष्टि शक्ति आवश्यक है	4,00,000
(5)	चेहरे की बहुत गंभीर विद्रूपता के लिए	4,00,000
(6)	पूर्ण बधिरता के लिए	4,00,000

IndiaCode

भाग - 3

क्रम संख्या	क्षति की प्रकृति	प्रतिकर की रकम (रुपये)
1	2	3
(1)	स्कंध संधि से विच्छेदन के लिए	3,60,000
(2)	स्कंध से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्थूणक अंसूकट के सिरे 8" से कम हो	3,20,000
(3)	अंसूकट सिरे से आठ इंच से कूर्पर के सिरे के नीचे से साढ़े चार इंच से कम तक के विच्छेदन के लिए	2,80,000
(4)	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे की और चारों अंगुलियों की हानि या खुर पर के सिरे से साढ़े चार इंच से नीचे तक के विच्छेदन के लिए	2,40,000
(5)	अंगूठे की हानि के लिए	1,20,000
(6)	अंगूठे की और उसकी करभास्थि की हानि के लिए	1,60,000
(7)	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए	2,00,000
(8)	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए	1,20,000
(9)	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
(10)	अंगूठे की अंतिम अंगुलि-अस्थि की हानि के लिए	80,000
(11)	दोनों पादों के विच्छेदन के लिए, जिसके परिणामस्वरूप अंतांग मात्र रह जाए	3,60,000
(12)	प्रपदांगुलि - अस्थि संधि के निकट से दोनों पादों के विच्छेदन के लिए	3,20,000
(13)	प्रपदांगुलि - अस्थि संधि से दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,60,000
(14)	निकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	1,20,000

(15)	निकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्थि संधि से दूर पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
(16)	नितंब पर विच्छेदन के लिए	3,60,000
(17)	नितंब से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्थूणक वृहत् उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर पांच इंच से अधिक लंबा न हो	3,20,000
(18)	नितंब से नीचे विच्छेदन के लिए जब कि स्थूणक वृहत् उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर पांच इंच से अधिक लंबा हो किंतु मध्योरु से आगे न हो	2,80,000
(19)	मध्योरु के नीचे से घुटने के साढ़े तीन इंच तक नीचे के विच्छेदन के लिए	2,40,000
(20)	घुटने के नीचे विच्छेदन के लिए जबकि स्थूणक साढ़े तीन इंच से अधिक हो किंतु पांच इंच से अधिक न हो	2,00,000
(21)	अधरांगघात के साथ मेरुदंड का अस्थिभंग	2,00,000
(22)	घुटने के नीचे विच्छेदन जब कि स्थूणक पांच इंच से अधिक हो	1,60,000
(23)	एक नेत्र की हानि के लिए जब कि कोई अन्य जटिलता न हो और दूसरा नेत्र सामान्य हो	1,60,000
(24)	एक पाद के विच्छेदन के लिए जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	1,20,000
(25)	प्रपदांगुलि अस्थि संधि के निकट से एक पाद के विच्छेदन के लिए	1,20,000
(26)	अधरांगघात के बिना मेरुदंड का अस्थिभंग	1,20,000
(27)	एक नेत्र की दृष्टि की हानि जब कि नेत्रगोलक में जटिलता या विद्रुपता: न हो और दूसरा नेत्र समान्य हो	1,20,000
(28)	प्रपदांगुलि अस्थि संधि से एक पाद की सभी अंगुलियों की हानि के लिए	80,000
(29)	नितंब के जोड़ का अस्थि भंग	80,000
(30)	मुख्य अस्थि - दोनों अंगों की ऊर्वास्थि, अंतर्जांघिका का अस्थि भंग	80,000
(31)	मुख्य अस्थि - दोनों अंगों की प्रगणिडका, रेडियस का अस्थि भंग	60,000
(32)	पेल्विस का अस्थिभंग जिसमें जोड़ अंतर्वलित नहीं है	40,000
(33)	मुख्य अस्थि - एक अंग की ऊर्वास्थि, अंतर्जांघिका का अस्थि भंग	40,000
(34)	मुख्य अस्थि - एक अंग की प्रगणिडका, रेडियस और अलना का अस्थि भंग	32,000

[फा. सं. के-14011/34/2013-एम.आर.टी.एस.-3]

मुकुन्द कुमार सिन्हा, ओ.एस.डी. (शहरी यातायात) और ई.ओ. संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2014

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of section 56 and clause (d) of sub-section (2) of section 100 read with sub-section (3) of section 53 and section 57 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.-(1) Theserules may be called the Chennai Metro Railway(Procedure of Claims)Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (No. 60 of 2002);

(b) "Claims Commissioner" means the Claims Commissioner appointed under Section 48 of the Act;

(c) "applicant" means a person making an application to the Claims Commissioner under section 58 of the Act;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "legal practitioner" shall have the same meaning assigned under clause (i) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);

(f) "legal Representative" means a person who in law represents the estate of the deceased;

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(h) "section" means a section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and Metro Railway General Rules, 2013 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Metro Railway General Rules,2013.

3. Procedure for filing applications.-(1) The application for payment of compensation in respect of accidents involving death,or bodily injury to person or damage to any property arising out of the working of the Metro Railway to the Claims Commissioner shall be presented in the Form given in the First Schedule either by the applicant in person or by his duly authorized legal representative:

Provided that an application may also be sent by registered post to the Claims Commissioner.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be presented in duplicate.

(3) Every application shall be typed legibly in double space on one side of paper of good quality.

4. Scrutiny of application.-(1) The Claims Commissioner shall endorse on every application the date on which it is presented or received under rule 3 and sign the endorsement.

(2) If the application on scrutiny is found to be in order, it shall be registered and given a serial number.

(3) If the application on scrutiny is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Claims Commissioner may allow the applicant, to rectify the same in his presence and if the defect is not formal in nature, the Claims Commissioner may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Claims Commissioner may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and notify the applicant accordingly.

(5) An appeal against the order passed under sub-rule (4) may be preferred by the person aggrieved within fifteen days from the date of such order and such appeal shall be dealt with and disposed of by the Claims Commissioner.

5. Notice to Metro Railway Administration.-(1) The Claims Commissioner shall issue notice to Metro Railway Administration to show cause against the application on a date of hearing to be specified therein.

(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a copy of the application.

(3) If the representative of Metro Railway Administration does not appear on the date specified in the notice referred to in sub-rule (1) or appears and admits the claim, the Claims Commissioner shall forthwith proceed to dispose off the application.

(4) If the Metro Railway Administration contests the claim, it may file a reply along with copy of such document on which it relies on or before the date of hearing and such reply and copies of the document shall form part of the record.

6. Filing of an Affidavit.-(1) The Claims Commissioner may direct the applicant and the Metro Rail Administration to give evidence, if any, by affidavit.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the Claims Commissioner considers it necessary for just decision of the case, he may order cross-examination of any deponent.

7. Filing of reply and other documents by the respondents.-(1) Metro Railway Administration may file its reply to the application and copies of the documents on or before the date of hearing of the application.

(2) In reply filed under sub-rule (1), the Metro Railway Administration shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the application and state additional facts necessary in its reply.

8. Summary disposal of application.-The Claims Commissioner may, after considering the application, summarily dismiss the application, if for reasons to be recorded in writing, he is of the opinion that there are not sufficient grounds for proceeding therewith.

9. *Ex-parte* hearing and disposal of application.-(1) Where on the date fixed for hearing the application or any other

date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the representative of Metro Railway Administration does not appear, the Claims Commissioner may, in his discretion, adjourn the hearing or hear and decide the application *ex-parte*.

(2) Where an application has been heard *ex-parte* against the Metro Railway Administration, the Metro Railway Administration may apply to the Claims Commissioner for an order to set aside it, and if the Metro Railway Administration satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or that its representative was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the *ex-parte* hearing upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application.

10. Disposal of application in default.-(1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the representative of Metro Railway Administration appears and the applicant does not appear, the Claims Commissioner may, at his discretion, adjourn the hearing or hear and decide the application in default.

(2) Where an application has been heard and disposed in default against the applicant, the latter may apply to the Claims Commissioner for any order to set aside it and if the applicant satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the order in default, upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application.

11. Summoning of witnesses and method of recording evidence.-(1) If an application is presented by any party to the proceedings for summoning of witnesses, the Claims Commissioner shall issue summons for the appearance of such witnesses unless he considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.

(2) The Claims Commissioner shall make a brief memorandum of substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds and such memorandum shall form part of the record:

Provided that if the Claims Commissioner does not make such memorandum, he shall record the reasons for his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record.

12. Decision of the Claims Commissioner.-The Claims Commissioner shall decide every application as expeditiously as possible on perusal of documents, affidavits and other evidence, if any, and after hearing such oral argument as may be advanced.

13. Order to be passed and signed.-(1) The Claims Commissioner, after hearing the applicant and the Metro Railway Administration, shall pass an order as he thinks fit, either at once or as soon as thereafter as may be practicable.

(2) Every order of the Claims Commissioner shall be in writing and shall be signed by him.

(3)An order made by the Claims Commissioner shall be executed as a decree of civil court and the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, so far as may be, and shall apply as they apply in respect of decree of a civil court.

14. Review of decision.-(1) Any person considering himself aggrieved by any order of the Claims Commissioner, on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, may apply for review of a final order not being an interlocutory order, to the Claims Commissioner.

(2) Where it appears to the Claims Commissioner that there is no sufficient ground for a review, he shall reject the application.

(3) Where the Claims Commissioner is satisfied with the grounds made in the application and considers it in the interest of justice, he shall allow the application for review:

Provided that no such application for review shall be allowed without previous notice to the Metro Railway Administration or to enable it to appear and be heard in support of the order, a review of which is applied for.

15. Orders or directions by the Claims Commissioner.- Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Claims Commissioner to pass such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to his orders or to prevent abuse of the process or to secure the ends of justice.

16. **Association of experts.-**(1)The Claims Commissioner may, for the purpose of determining any claim for compensation associate one or more experts possessing any knowledge of any matter relevant to the inquiry.

(2)The fees or allowances, if any, to be paid to the persons associated with the inquiry under sub-rule (1), shall be determined by the claims commissioner as he considers necessary, and the same shall be paid by the Metro Railway Administration.

17. Amount of compensation.-(1) The amount of compensation payable in respect of death or injuries shall be as specified in the Second Schedule.

(2) The amount of compensation payable for an injury not specified in Part II or Part III of the Second Schedule but which, in the opinion of the Claims Commissioner, is such as to deprive a person of all his capacity to do any kind of work, shall be four lakh rupees.

(3) The amount of compensation payable in respect of any injury (other than an injury specified in the Second Schedule or referred to in sub-rule (2) resulting in pain and suffering, shall be such as the Claims Commissioner may, after taking into consideration medical evidence, besides other circumstances of the case, determine to be reasonable:

Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each such injury:

Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed eighty thousand rupees.

(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person had died,and the person subsequently dies of the injury, a further compensation equal to difference between the amount payable for death and amount already paid, shall become payable.

(5) The Compensation for loss, destruction or deterioration of goods being carried by the passenger as his personal baggage, shall be paid to such an extent as the Claims Commissioner may, after taking into consideration all circumstances of the case, determine to be reasonable.

18. Limit of compensation.-Notwithstanding anything contained in rule 17, the total compensation payable under that rule shall in no case exceed five lakh rupees in respect of any one person.

The First Schedule

FORM

(see rule 3)

Application under section 58 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) for claims for compensation in respect of death or injury of passengers or destruction or damage to the goods being carried by them as their personal baggage.

PART I

Date of the Case:

Time of the Case:

PART II

Sl. No.	Description of documents attached	Page No.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature of the Applicant

For use in Claims Commissioner's Office

Date of filing

Or

Date of Receipt by post

Registration No.

PART III

In the Office of the Claims Commissioner

Between

.....Applicant

and

Metro Railway Administration

1. Particulars of the applicant:

 Name and address

2. Value of claim ____

3. (i) Facts of the case:

 (Give here a concise statement of facts in chronological order, each paragraph containing, as nearly as possible, a separate issue, fact or otherwise)

 (ii) (a) Nature of relief sought

 (b) Ground of relief.

4. (i) Matters not previously filed or pending with any other Court.

 (State whether the applicant had previously filed any claim, writ petition or suit regarding the matter in respect of which the present application has been made)

 (ii) In case the applicants had previously filed any claims, application, writ petition or suit, indicate the stage at which it is pending, and if decided, attached a certified copy of the order.

5. List of enclosures.

 1.

 2.

 3.

IndiaCode

Verification

I, …… (Name of the applicant) S/o, D/o, W/o Age …….., resident of …… do hereby verify that the contents of paragraphs …… to ……. are true to my personal knowledge, and paragraphs …… to …… are believed to be true to the best of knowledge, or the legal advice given to me, and that I have not suppressed any material fact.

Date: …… Signature of the applicant

Place: …….. Full Address

The Second Schedule

(see rule 18)

COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES

PART I

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
1	2	3
(1)	For Death	5,00,000

PART II

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
1	2	3
(1)	For loss of both hands or amputation at higher sites	4,00,000
(2)	For loss of hand and a foot	4,00,000
(3)	For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot	4,00,000
(4)	For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential	4,00,000
(5)	For very severe facial disfigurement	4,00,000
(6)	For absolute deafness	4,00,000

IndiaCode

PART III

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
1	2	3
(1)	For amputation through shoulder joint	3,60,000
(2)	For amputation below shoulder with stump less than 8" from tip of acromion	3,20,000
(3)	For amputation from 8" from tip of acromion to less than 4 ½" below tip of olecranon	2,80,000
(4)	For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4 ½" below space tip of olecranon	2,40,000
(5)	For loss of thumb	1,20,000
(6)	For loss of thumb and its metacarpal bone	1,60,000
(7)	For loss of four fingers of one hand	2,00,000
(8)	For loss of three fingers of one hand	1,20,000
(9)	For loss of two fingers of one hand	80,000
(10)	For loss of terminal phalanx of thumb	80,000
(11)	For amputation of both feet resulting in end-bearing stumps	3,60,000
(12)	For amputation through both feet proximal to the metatarsophalangeal joint	3,20,000
(13)	For loss of all toes of both feet through the metatarsophalangeal joint	1,60,000
(14)	For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint	1,20,000

(15)	For loss of all toes of both feet distal to the proximal interphalangeal joint	80,000
(16)	For amputation at hip	3,60,000
(17)	For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from tip of great trenchanter but not beyond middle thigh	3,20,000
(18)	For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip of great trenchanter but not beyond middle thigh	2,80,000
(19)	For amputation below middle thigh to 3 ½ " below knee	2,40,000
(20)	For amputation below knee with stump exceeding 3 ½ " but not exceeding 5"	2,00,000
(21)	Fracture of Spine with paraplegia	2,00,000
(22)	For amputation below knee with stump exceeding 5"	1,60,000
(23)	From loss of one eye without complications the other being normal.	1,60,000
(24)	For amputation of one foot resulting in end-bearing	1,20,000
(25)	For amputation through one foot proximal to metatarsophalangeal joint	1,20,000
(26)	Fracture of Spine without paraplegia	1,20,000
(27)	For loss of vision of one eye without complication of disfigurement of eye ball, the other being normal	1,20,000
(28)	For loss of all toes of one foot through the metatarsophalangeal joint	80,000
(29)	Fracture of Hip -joint	80,000
(30)	Fracture, of Major Bone-Femur, Tibia of both limbs	80,000
(31)	Fracture of Major Bone-Humerus, Radius of both limbs	60,000
(32)	Fracture of Pelvis not involving joint	40,000
(33)	Fracture of Major Bone – Femur, Tibia of one limb	40,000
(34)	Fracture of Major Bone-Humerus, Radius and Ulna of one limb	32,000

IndiaCode

[F.No.K-14011/34/2013-MRTS-III]

MUKUND KUMAR SINHA, Officer on Special Duty(UT) &

Ex-officio Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 761(अ).- केंद्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चेन्नई मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के कदाचार या असमर्थता के लिए अन्वेषण प्रक्रिया) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ग) "न्यायाधीश" से नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है ।

2. उन शब्दों और पदों के, जो इस नियम में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु इसमें परिभाषित नहीं हैं और जो इस अधिनियम में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में हैं ।

3. परिवादों की अन्वेषण संबंधी समिति : (1) केंद्रीय सरकार, दावा आयुक्त के संबंध में कदाचार या उसके संबंध में पद के कृत्यों का पालन करने में असमर्थता के किन्ही निश्चित आरोपों का अभिकथन करने वाली शिकायत प्राप्त हो जाने पर, ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी ।

2. यदि, केंद्रीय सरकार प्रारंभिक संवीक्षा किए जाने पर अभिकथन का अन्वेषण करना आवश्यक समझती है तो वह उस समर्थनकारी सामग्री, जो उपलब्ध हो, के साथ शिकायत, को शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी समिति के समक्ष रखेगी, अर्थात् :--

(i) सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) मंत्रिमंडल सचिवालय - अध्यक्ष

(ii) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, - सदस्य

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य

(3) समिति अन्वेषण की अपनी ही प्रक्रिया और पद्धति तैयार करेगी जिसमें शिकायतकर्ता के साक्ष्य का अभिलेखन और उस जांच से सुसंगत सामग्री का संग्रहण भी सम्मिलित हो सकेगा, जो इन नियमों के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाए ।

(4) समिति ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथासंभव शीघ्र केंद्रीय सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी ।

4. न्यायाधीश द्वारा जांच किया जाना-(1) यदि, केंद्रीय सरकार, की यह राय है कि दावा आयुक्त के कदाचार या उसकी असमर्थता के किसी लांछन की सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश नामित करने के लिए यह अनुरोध करेगा कि वह एक निर्देश करे ।

(2) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा जांच करने के प्रयोजन के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश कहा गया है द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करेगा ।

(3) उप-नियम (2) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना दावा आयुक्त को दी जाएगी ।

(4) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित की एक प्रति न्यायाधीश को अग्रेषित करेगा :--

(क) संबद्ध दावा आयुक्त के विरुद्ध आरोपों की मदें तथा लांछन का कथन

(ख) साक्षियों का कथन, यदि कोई हो ; और

(ग) जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज

(5) न्यायाधीश ऐसे समय या अतिरिक्त समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच को पूरा करेगा ।

(6) संबद्ध दावा आयुक्त को ऐसे समय के भीतर, जो न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए प्रतिरक्षा को लिखित कथन को प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(7) यहां यह अभिकथन किया जाता है कि दावा आयुक्त किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पद के कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निवर्हन करने में असमर्थ है और अभिकथन का प्रत्याख्यान किया जाता है तो वहां न्यायाधीश ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, दावा आयुक्त की चिकित्सीय परीक्षा कराने की व्यवस्था कर सकेगा और संबंधित दावा आयुक्त न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर चिकित्सीय परीक्षा के लिए स्वयं पेश होगा ।

(8) चिकित्सा बोर्ड दावा आयुक्त की ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करेगा जो आवश्यक समझी जाए और उसमें यह कथन करते हुए न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या असमर्थता इस प्रकार की है जो दावा आयुक्त को पद पर बने रहने के लिए आयोग्य बनाती हैं ।

(9) यदि दावा आयुक्त ऐसी चिकित्सीय परीक्षा, जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए, कराने के लिए इंकार करता है, तो बोर्ड, न्यायाधीश को एक रिपोर्ट उसमें ऐसी परीक्षा का कथन करते हुए प्रस्तुत करेगा जिसे कराने से दावा आयुक्त ने इंकार कर दिया है और न्यायाधीश ऐसे रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर यह उपधारणा कर सकेगा कि दावा आयुक्त ऐसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से ग्रस्त हैं जिसका शिकायत में अभिकथन किया गया है।

(10) न्यायाधीश, दावा आयुक्त के लिखित कथन और चिकित्सा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उपनियम (4) के खंड (क) से निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन कर सकेगा और ऐसे मामलों में, दावा आयुक्त को प्रतिरक्षा का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(11) केंद्रीय सरकार, दावा आयुक्त के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए इस सरकार के किसी अधिकारी या किसी अधिवक्ता को नियुक्त करेगा।

(12) जहां केंद्रीय सरकार ने न्यायाधीश के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त किया है वहां, दावा आयुक्त को उसके द्वारा चुने गए अधिवक्ता द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

5. जांच रिपोर्ट: अन्वेषण के समाप्त हो जाने के पश्चात् न्यायाधीश केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें संपूर्ण मामले पर ऐसे संप्रेक्षणों सहित, जो वह ठीक समझें, पृथक रुप से आरोप की हर एक मद पर उसके निष्कर्षों और कारणों का कथन होगा।

6. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों से आबद्धकर न होना.- नियम 4 के अधीन जांच करते समय, न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्धकर नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और अपनी स्वंय की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी जांच के स्थान और समय भी हैं, को विनियमित करने की शक्ति होगी।

7. दावा आयुक्त का निलंबन : नियम 4 में की किसी बात के होते हुए और उक्त नियम के अनुसार की जा रही किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस दावा आयुक्त को निलंबित कर सकेगी जिसके विरुद्ध शिकायत का अन्वेषण किया जा रहा है या जांच की जा रही है।

8. जीवन निर्वाह भत्ता : निलंबनाधीन दावा आयुक्त को जीवन निर्वाह भत्ते का संदाय समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले भारत सरकार के किसी अधिकारी को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

[फा.सं. के-14011**/**34**/**2013-मेट्रो–3**]**

मुकुन्द कुमार सिन्हा, ओएसडी (शहरी परिवहन) और

पदेन संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2014

G.S.R. 761(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 56 of Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Chennai Metro Railway (Procedure for Investigation of Misbehavior or Incapacity of the Claims Commissioner) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these Rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "section" means a section of the Act.

(c) "Judge" means the Judge of the Supreme Court appointed for conducting the inquiry under sub-rule (3) of rule 3.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. Committee for investigation of complaints.-(1) The Central Government on receipt of a complaint alleging any

definite charges of misbehaviour in respect of or incapacity to perform the functions of the office in respect of the Claims Commissioner, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government, considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material, as may be available, before a Committee consisting of the following persons to investigate the charges of allegations made in the complaint:-

(i) Secretary (Co-ordination and Public Grievances) Cabinet Secretariat -Chairman,

(ii) Secretary, Ministry of Urban Development -Member,

(iii) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice -Member

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court of India under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the Central Government as early as possible within a period that may be specified by the Central Government in this behalf.

4. Judge to conduct inquiry.–(1) If the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of Claims Commissioner, it shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The Central Government shall by order appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India herein after referred to as Judge for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Claims Commissioner.

(4) The Central Government shall forward to the Judge a copy of-

(a) the articles of charges against the Claims Commissioner concerned and the statement of imputation;

(b) the statement of witnesses, if any; and

(c) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the Central Government.

(6) The Claims Commissioner concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Claims Commissioner is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the judge may arrange for the medical examination of the Claims Commissioner by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the Central Government and the Claims Commissioner concerned shall submit himself to such Medical Examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Claims Commissioner as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Claims Commissioner unfit to continue in office.

(9) If the Claims Commissioner refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Claims Commissioner has refused to undergo and the Judge may on receipt of such report presume that the Claims Commissioner suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Claims Commissioner and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (a) of sub-rule (4) and in such a case the Claims Commissioner shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoints an officer of that Government or any advocate to present the case against the claims commissioner.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Claims Commissioner shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

IndiaCode

5. Inquiry Report.-After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the Central Government stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charge separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

6. Provisions of Civil Procedure Code not binding.-The Judge, while conducting an inquiry under rule 4, shall not be bound by the procedure laid down by the Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.

7. Suspension of Claims Commissioner.- Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the Central Government, keeping in view the gravity of charges, may suspend the Claims Commissioner against whom a complaint is under investigation or inquiry.

8. Subsistence allowance.-The payment of subsistence allowance to Claims Commissioner under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India drawing an equivalent pay.

[F.No.K-14011/34/2013-MRTS-III]

MUKUND KUMAR SINHA, Officer on Special Duty(UT) &

Ex-officio Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.